



संख्या-52 /2026/1-1276083 /2026/एस0-43/38-2-2026

001-2002-001-3-2023

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

दीनदयाल उपाध्याय,

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के परिसर में 200 बेड के छात्रावास के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-860/SIRD-BNL/42025(177433) दिनांक 13 मार्च, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के परिसर में 200 बेड के छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-27/2024/1-793453/2024/एस-238/38-2-2002(001)/3/2023, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 द्वारा निर्गत रू० 1773.46 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में 200 बेड के छात्रावास का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्माण-24-वृद्ध निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट धनराशि ₹0 957.55 लाख (रूपये नौ करोड सत्तावन लाख पचपन हजार मात्र) की द्वितीय किश्त की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल, 30प्र0 एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० आकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(2) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2024 में समिति द्वारा संज्ञान लिया गया है कि भवन निर्माण से संबंधित कतिपय प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में निर्माण की गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल कराये जाने का प्रावधान किया जाता है। प्रदेश की विभिन्न राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल हेतु निर्माण कार्यों की लागत पर 01 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया जाता है। रन्तु इस हेतु कोई नीति निर्धारित न होने के कारण निर्माण लागत के साथ लागत अनुमन्य नहीं की जाती है। समिति द्वारा प्रदेश में किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाते हेतु उनका थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल उच्च शिक्षण संस्थान यथा आई०आई०टी एन०आई०टी० व अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं से अथवा टैंडर के माध्यम से सक्षम संस्थाओं से कराये जाने का निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्णय के क्रम में प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल हेतु विड के माध्यम से प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय निर्माणाधीन परियोजना की विभिन्न मुख्य स्टेजेज उदाहरण स्वरूप पी मैटेरियल टेस्टिंग, फाउण्डेशन, कुसी तल, लिन्टल स्तर एवं छत पड़ने इत्यादि पर आवश्यक भौतिक स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 05 बार स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य के उपरान्त प्रशासकीय विभाग एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से संतुष्ट होने के उपरांत ही महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा क्वालिटी कंट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(3) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन हेतु लागत ₹0 34.04 लाख की धनराशि को अनुमन्य कर दिया गया है। इस मद हेतु यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में कोई अन्तर आता है तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी एवं प्रायोजना के पुनः प्रभाग से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर मद हेतु एकमुस्त प्रस्तावित लागत ₹0 199.94 लाख के सापेक्ष ₹० 150.00 लाख (रुपये 1.50 लाख प्रति रूम) अनुमन्य किया गया है। प्रभाग का मत है कि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय, जिसकी देख-रेख में न्यूनतम आवश्यकतानुसार फर्नीचर का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 500 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है, जिसका रख-रखाव आदि के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा विचार करते हुए इसका क्रय एवं स्थापना की जाय।

(6) प्रायोजनान्तर्गत वी०आर०बी० ए०सी० के स्थान पर 100 नग स्प्लिट ए०सी० की लागत को अनुमन्य कर दिया गया है।

(7) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाय।

(8) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की आत्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(11) प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जानें विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(15) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ०प्र० एवं महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन की उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को भेजी जाय।

(16) इस धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(17) स्वीकृत धनराशि के संबंध में विल्ल (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, यह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिए पुन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(18) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी०एल०ए०/ बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(21) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(23) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम 04/2017. दिनांक 21-06-2017 में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट्यों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो. यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(27) प्रस्तावित निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।

(28) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित तर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायो/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बयर का तालाय, लखनऊ कार्यदायी संस्था का होगा।

(29) प्रश्नगत निर्माण कार्य में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित प्रस्ताव में निर्धारित शर्तों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(30) ओकड़ों की शुद्धता एवं धनात की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(31) धनराशि के आहरण एवं व्यय संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शसनादेशी एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,57,55,000 (रुपये नौ करोड़ सत्तावन लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4059600510300 दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में 200 बेड के छात्रावास का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-52 /2026/|-1276083 /2026/एस0-43/38-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०, लखनऊ को बजट की समेकित सूचना के अनुश्रवण हेतु।
- 4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाव लखनऊ।
- 6- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु०-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-5 एवं 8
- 9- निदेशक कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।